

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 510 / 2025

अनवान : -

- 1 धर्मपाल पुत्र नेतराम जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला त० टिब्बी।

वादी

बनाम

- 1 नेतराम पुत्र राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला त० टिब्बी।
- 2 अनिल कुमार पुत्र नेतराम जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला त० टिब्बी।
- 3 कृष्णादेवी पत्नी अनिल कुमार जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला त० टिब्बी।
- 4 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री विजय बैनीवाल वादी एवं श्री नरेन्द्र वर्मा प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं० 1 के नाम चक 4 एनडीआर के खाता सं० 54/44 में कुल 2.2140 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सा की घोषणा की जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किये जाते हैं-

क. वादी धर्मपाल पुत्र नेतराम को प्राप्त आराजी :- चक नं० 4 एनडीआर के प०न० 193/323 मु० 12 किलानं० 18,19,20 कुल 0.759 है०

प्रतिवादी सं० 2 अनिल कुमार व प्रतिवादी सं० 3 कृष्णा पत्नी अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर प्राप्त आराजी :- चक नं० 4 एनडीआर के प०न० 193/323 मु० 12 किलानं० 21, 22, 23 कुल 0.759 है०

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के नाम भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावें व प्रतिवादी सं० 1 नेतराम का हिस्सा कम किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करे।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 21/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।



21/01/24  
सत्यनारायण (संयोजक एवं)  
पट्टन महायंत्रिका  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
R.A.S.